

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश

संख्या: सी-247/ई-1,

लखनऊ: दिनांक: 19 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-84/22015/4572/सत्ताईस-1-2015-1/14, दिनांक-22-12-2015 एवं शासनादेश संख्या-3636/सत्ताईस-1-2017-01/14, दिनांक-24-11-2017 में निहित प्राविधानों एवं कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत श्री उमेश चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता, बाढ खण्ड, बदायूँ को अपने वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त बदायूँ सिंचाई परियोजना निर्माण खण्ड, बदायूँ के रिक्त पद का कार्यभार नितान्त कामचलाऊ व्यवस्थान्तर्गत अग्रिम आदेशो तक सम्पादित किये जाने के आदेश एतद्वारा निर्गत किये जाते हैं।

इस निमित्त श्री उमेश चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

अनिल कुमार
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

संख्या: सी-247/ई-1/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या-84/22015/4572/सत्ताईस-1-2015-1/14, दिनांक-22-12-15 एवं शासनादेश संख्या-3636/सत्ताईस-1-2017-01/14, दिनांक-24-11-2017 के अन्तर्गत उक्त किये गये आदेश का औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।
2. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन/परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (रुहेलखण्ड), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, बरेली।
4. मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जांच), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर केन्द्र), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
8. प्रशासनिक अधिकारी (ई-1)/प्रशासनिक अधिकारी (ई-3), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
9. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।

SRU/सी संवि, प्र०

SRU
8/2/8/23

(रमेश चन्द्र)
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3)